भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 172

सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना

172. श्री टी. एम. सेल्वागणपति

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्यों ने पूंजीगत निवेश करने के लिए 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण योजना में कुछ सुधार किए जाने की मांग की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्यों ने इस संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने उन्हें वर्ष 2024-25 के दौरान 1.3 लाख करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया है, जो 2023-24 में प्रदान की गई राशि के समान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों हेतु विशेष सहायता योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुरू की गई थी। राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री की बजट पूर्व बैठकों सहित राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के प्रति सतत सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के पुनर्संरचित और विस्तारित संस्करणों को जारी रखने का निर्णय लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट 2024-25 के भाषण में 1.3 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ पूंजीगत निवेश 2024-25 के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना की घोषणा की है। वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के अंतर्गत नागरिक केंद्रित और क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा चरणबद्ध योजित सुधारों के पूरा करने पर 75,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। भाग-1 (शर्त रहित) के लिए, शेष 55,000 करोड़ रुपए की राशि, 15वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अनुसार केंद्रीय करों और शुल्कों में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में राज्यों को आवंटित की गई है।

****